चरजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2015/माघ 27, 1936
No. 373] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2015/MAGHA 27, 1936

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

का.आ. 523(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के दो सदस्यों, अर्थात, श्री गुलाम नबी वानी, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 फरवरी, 2015 को निवृत्त हो गए हैं तथा श्री मोहम्मद शफी, जिन्हें अपनी पदावधि के अवसान पर 15 फरवरी, 2015 को निवृत्त होना था किन्तु जिन्होंने पहले ही 12 जनवरी, 2015 को त्यागपत्र दे दिया था, के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :--

1. श्री गुलाम नबी आज़ाद,
बंगला सं. 2, पनामा चौक, गांधी नगर,
जम्मू ।
(जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए हैं)

2. श्री नजीर अहमद लवाय,
हनद चवलगाम, तहसील और जिला कुलगाम ।
(जो जे एंड के पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं)

उस सदन में श्री गुलाम नबी वानी और श्री मोहम्मद शफी (जिन्होंने पहले ही 12 जनवरी, 2015 को त्यागपत्र दे दिया है) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 फरवरी, 2015 को निवृत्त हो गए हैं, दो सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जम्मू
तारीख : 07.02.2015

ह./-
रिटर्निंग आफिसर"।

[फा. सं. एच-11024(1)/2015-वि. II]

डा. संजय सिंह, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

S.O. 523(E).—In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of two members, namely, Shri Ghulam Nabi Wani, retired on 15th February, 2015 and Shri Mohammad Shafi, who was to retire on 15th February, 2015 but had already resigned on 12th January, 2015, on the expiration of their term of office, is published for general information:-

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of Rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that:—

1. Shri Ghulam Nabi Azad,
 Bungalow No. 2, Panama Chowk, Gandhi Nagar,
 Jammu.
 (Sponsored by Indian National Congress)

2. Shri Nazir Ahmed Laway
 Hanad Chawalgam Tehsil & Distt. Kulgam.
 (Sponsored by J & K Peoples Democratic Party)

have been duly elected to fill the seats in that House of two members caused due to the retirement of Shri Ghulam Nabi Wani and Shri Mohammad Shafi (who has already resigned on 12th January, 2015) on the expiration of their term of office on 15th February, 2015.

Place: Jammu
Date: 07-02-2015

Sd-
Returning Officer".

[F. No. H-11024 (1)/2015-Leg.II]

Dr. SANJAY SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2015

का.आ. 524(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 209(अ), तारीख 21 जनवरी, 2015 के अनुसरण में, राज्य सभा के सदस्यों, श्री गुलाम नबी वानी और श्री मोहम्मद शफी, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 फरवरी, 2015 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थानों को जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरे जाने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए हैं ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :

क्र.सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री गुलाम नबी आज़ाद
2.	श्री नजीर अहमद लवाय

ह/-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा. सं. एच-11024(1)/2015-वि. II]

डा. संजय सिंह, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2015

S.O. 524(E).— Whereas elections have been held, in pursuance of notification number S.O. 209 (E), dated the 21st January, 2015, issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of Shri Ghulam Nabi Wani and Shri Mohammad Shafi, members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir who retired on the 15th February, 2015, on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of Section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Jammu and Kashmir are hereby notified for general information:

S. No.	Name of the member
1.	Shri Ghulam Nabi Azad
2.	Shri Nazir Ahmed Laway

Sd-

Returning Officer".

[F. No. H-11024 (1)/2015-Leg.II]

Dr. SANJAY SINGH, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.